

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 114

दिनांक 31.7.2017

प्राधिकारी की योजनाओं में रियायती दर पर चिकित्सा उपयोग के भूखण्डों हेतु निविदा - आमंत्रण

इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित सारणी में दिये गये विवरण अनुसार पात्र तथा इच्छुक चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी से चिकित्सा उपयोग हेतु रियायती दरों पर भूखण्डों के व्ययन हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं -

अ. क.	योजना क्रमांक	भूखण्ड का उपयोग	क्षेत्रफल व.मी.	रियायती दरों पर आरक्षित/न्यूनतम दर रु. प्रवर्गी. में	वार्षिक पट्टा भाडा रुपये प्रति वर्गमीटर में		प्रतिभूमि राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये
					प्रथम वर्ष	आगामी वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51	डिस्पेन्सरी	1017.00	8,250/-	30/-	7/-	8.00 लाख
2	74-सी सेक्टर-बी	डिस्पेन्सरी	5221.92	11,000/-	22/-	5/-	55.00 लाख
3	140	हेल्थ नर्सिंग होम	3580.00	11,500/-	62/-	39/-	40.00 लाख

• पात्रता की प्रमुख शर्तें -

- 1- निविदादाता संस्था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी के रूप में किसी विधि/नियमों में गठित होकर, सुसंगत परिणियम के अंतर्गत 03 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होकर तथा इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 12 ए / 12 ए.ए. एवं इन्कम टैक्स एक्ट सेक्शन-80 (जी) (5) (vi) के अन्तर्गत पंजीकृत होकर, संस्था को चिकित्सा क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
 - 2- निविदादाता संस्था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी द्वारा कोर गतिविधियों के लिये गत 03 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर फण्ड न्यूनतम रूपये 1.00 करोड (एवरेज) होना एवं चिकित्सा क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्डधारी (गरीबी रेखा के नीचे) के कम-से-कम 60 प्रतिशत व्यक्तियों को नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराई हो।
- इच्छुक संस्थाएँ निर्धारित निविदा प्रपत्र प्राधिकारी परिसर में स्थित यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया से दिनांक 04.08.2017 से 24.08.2017 तक बैंक कार्यालयीन समय में रु. 590/- (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट/नगद राशि जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र को प्राधिकारी की वेब साईट www.idaindore.org से भी डाऊनलोड किया जा सकता है, जिसमें निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क भी जमा करना होगा। निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को कॉलम-08 अनुसार निविदा प्रतिभूति राशि भी अपनी निविदा के साथ जमा करनी होगी। निविदा दिनांक 25.08.2017 सायंकाल 4.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगी।

• विशेष टीप :-

- अ- चूंकि योजना क्रमांक-51 एवं 74-सी में इन्दौर नगर पालिक निगम द्वारा विभिन्न लीजगृहिताओं को भवन अनुमति प्रदान की जाकर भवन निर्माण होने से तथा योजना क्रमांक-140 के संबंध में इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर के द्वारा पत्र क्रमांक-263/का.सेल/11 दिनांक 5/5/2011 के अंतर्गत योजना का विकास कार्य पूर्ण होने के आधार पर भवन अनुमति प्रदान की गई होने से,
- ब- चूंकि तीनों योजनाएँ (योजना क्रमांक-51, 74-सी एवं 140) नागरिक सुविधाओं यथा सडक, भूमिगत सीवर, जल प्रदाय, उद्यान/आमोद-प्रमोद प्रबंधन, विद्युत व्यवस्था आदि के लिए वर्ष-2016 के पूर्व ही इन्दौर नगर पालिक निगम को हस्तांतरित हो चुकी होने से तथा इन योजनाओं में नागरिक सुविधाओं (सिविक एमेनिटीज) की व्यवस्था एवं सधारण निगम द्वारा ही किया जा रहा होने से,
- स- चूंकि विज्ञापन भूखण्डों का व्ययन, प्राधिकारी द्वारा पट्टे अर्थात लीज पर किया जा रहा है, जो कि विक्रय अंतरण नहीं होने से, तीनों योजनाओं का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) रियल इस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 (RERA) के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक नहीं है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विज्ञापित से संबंधित जानकारी हेतु निम्नानुसार संपर्क करें -

योजना क्रमांक	योजना सहायक यंत्री	संपदा अधिकारी वर्ग-2
140	श्री पी सी जैन 98936-99155	श्री प्रमोद गर्ग 98936-99157
74-सी	श्री ए.एस.शाक्यवार 98936-99144	श्री राजेश उपाध्याय 98936-99174
51	श्री शिरिष मोरे 98264-75794	श्री सुनील माहेश्वरी 98936-99119

—:: विज्ञप्ति क्रमांक-114 दिनांक 31/7/2017 में
पात्रता की प्रमुख शर्तों के अनुक्रमांक-02 का
स्पष्टीकरण ::-

“निविदादाता संस्था पब्लिक चैरिटेबल
ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी द्वारा इसकी
चिकित्सीय कोर गतिविधियों के लिये गत 03 वर्षों का वार्षिक
व्यय न्यूनतम रूपये 1.00 करोड (एवरेज) होना एवं चिकित्सा
क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्डधारी (गरीबी रेखा के नीचे) के
कम-से-कम 60 प्रतिशत व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध
कराई हो ।”

प्रारूप-छ

—:: बोली दस्तावेज ::—

विज्ञापन क्रमांक 114

दिनांक 31/7/2017

बोली दस्तावेज में निम्न लिखित चार भागों को समाविष्ट किया है

- भाग एक : रियायती दरों पर सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बाबत निर्देश
भाग दा : रियायती दरों पर सम्पत्ति हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप
भाग तीन : रियायती दरों पर सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार : रियायती दरों पर सम्पत्ति हेतु बोली प्रारूप

—:: भाग-एक ::—

रियायती दरों पर सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बाबत निर्देश

(Instructions for Submission of Bid For Property on Concessional Rates)

(प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, सहित सीलबंद लिफाफा 'ए' पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 114 दिनांक 31/7/2017 के संदर्भ में योजना क्रमांक-51, 74-सी एवं 140 में चिकित्सा उपयोग भूखण्डों (प्रयोजन जिसके लिए भूखण्ड/इकाई को आरक्षित किया गया है, विनिर्दिष्ट करें) के आवंटन हेतु, इच्छुक चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी अपने प्रस्ताव, निर्धारित की गई निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं:

एक : बोली दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया (Procedure for Submission of Bid Documents)

1. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी बोलियां द्वि-लिफाफा पद्धति (Two Envelope System) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है {"लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" बोली के प्रक्रियाबद्ध करने और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुती के लिए तथा "लिफाफा बी-बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" जिसका उपयोग विहित बोली प्रपत्र में बोली की प्रस्तुति हेतु किया जाएगा} ।
2. ऐसे इच्छुक बोली प्रस्तुतकर्ता, जो प्राधिकरण से बोली प्रपत्रों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा तीन अलग-अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे जिन्हें "लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)", "लिफाफा बी-बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" तथा तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) {Third Envelope (Cover Envelope)} के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
3. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ने प्ररूप को प्राधिकरण की वेबसाईट से डाऊनलोड किया हो तो बोली प्रस्तुतकर्ता की तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी

ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सीलबंद (सील) किया जा सके तथा इन्हें “लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा”, “लिफाफा बी—बोली लिफाफा” तथा आवरण लिफाफा (Cover Envelope) अंकित करते हुए प्रत्येक लिफाफे पर नाम विज्ञापन क्रमांक 114 दिनांक 31/7/2017 तथा योजना क्रमांक एवं सम्पत्ति क्रमांक/प्रकार के साथ-साथ “योजना क्रमांक के अन्तर्गत भूखण्ड/इकाई के आवंटन हेतु बोली” दर्शाते हुए इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाएगा।

4. इच्छुक चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी को लिफाफा ए तथा लिफाफा बी में, निम्न रूप से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार जानकारी प्रदान करने तथा उसे उचित रूप से सील बंद करने की अपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी को आवरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद (सील) किया जाएगा।

दो : बोली की विधिमान्यता बोली की प्रतिभूति तथा बोली प्रतिभूति को समपहृत करना (Validity of Bid, Security and Forfeiture of Bid Security)

1. बोलियां , बोली प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 90 दिन तक विधिमान्य रहेगी।
2. बोली प्रस्तुतकर्ताओं, को योजना क्रमांक-51 के भूखण्ड हेतु रुपये 8.00 लाख, योजना क्रमांक 74-सी के भूखण्ड हेतु रुपये 55.00 लाख एवं योजना क्रमांक-140 के भूखण्ड हेतु रुपये 40.00 लाख (वह सम्पत्ति, जिसके लिये बोली प्रस्तुत की जा रही है, के आरक्षित मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत) की बोली प्रतिभूति (bid security) प्रस्तुत करनी होगी।
3. अन्य बोली प्रस्तुतकर्ता जिनकी बोलियां स्वीकार न की गई हों, की बोली प्रतिभूति बोली लिफाफा खोलने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
4. ऐसा बोली प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तथा जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा बोली दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की बोली प्रतिभूति राशि समपहृत कर ली जाएगी।

तीन : प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/दस्तावेज (Information/Documents to be Provided)

लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)

1. ऐसे प्रकरण में जहां बोली-प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाईट से डाऊनलोड किया गया हो, बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली दस्तावेज शुल्क (Bid Document Fee) (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, अथवा जहां बोली प्रपत्र का प्राधिकरण कार्यालय से क्रय किया गया हो वहां बोली दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद प्रपत्र की प्रति।
2. बोली प्रतिभूति (Bid Security) हेतु योजना क्रमांक-51 के भूखण्ड हेतु रुपये 8.00 लाख, योजना क्रमांक 74-सी के भूखण्ड हेतु रुपये 55.00 लाख एवं योजना क्रमांक-140 के भूखण्ड हेतु रुपये 40.00 लाख (सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत) की राशि इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत डिमान्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर प्रस्तुत की जाएगी।
3. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे :

(एक) इनकार्पोरेशन सर्टिफिकेट

- (दो) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी का इनकम टैक्स एक्ट, 1961 सेक्शन 12ए/12ए.ए. एवं सेक्शन 80(जी)(5)(0) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- (तीन) कम से कम 10 वर्ष का अनुभव (EXPERIENCE) प्रमाण पत्र एवं उनके साथ संबंधित आवश्यक दस्तावेज ।
- (चार) चैरिटी गतिविधियों में कम से कम रुपये 1.00 करोड़ (3 वर्ष का औसत) का सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फण्ड ।
- (पाँच) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्डधारी (गरीबी रेखा के नीचे) के कम से कम 60 प्रतिशत व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई है, बाबद दस्तावेजी प्रमाण ।
- (छः) संस्था का नाम तथा उसका प्रकार (सोसाइटी)/न्यास (Trust) (सार्वजनिक/निजी)/धारा 26 के अन्तर्गत कम्पनी – पंजीकरण अभिलेख तथा पंजीकरण का ज्ञापन तथा संस्था नियमावली (Memorandum of Registration and Article of Association)/ अन्य कोई अभिलेख जो संस्था के उद्देश्यों तथा अधिकार-पत्र (Objective and Charter) को परिभाषित करें, जैसा कि इन्हें सुसंबद्ध प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो की प्रति संलग्न करें।
- (सात) सम्पर्क विवरण (Contact Details)
 संस्था का पंजीकृत पता
 पत्र व्यवहार हेतु पता
 दूरभाष क्रमांक
 ई-मेल पता
- (आठ) इकाई का संकल्प जिसके अनुसार अध्यक्ष/प्रबन्ध न्यासी (Managing Trustee)/प्रबन्ध निदेशक (Managing Director)/ व्यक्ति जिसे संस्था के प्रबन्धन हेतु प्राधिकृत किया गया हो संकल्प की लेख्य-प्रमाणित (notarized) प्रतिलिपि संलग्न करें ।
- (नौ) प्राधिकृत व्यक्ति का सम्पर्क विवरण (Contact Details)
 पत्र व्यवहार हेतु पता
 दूरभाष क्रमांक
 ई-मेल पता
- (दस) इकाई का बोली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा उक्त व्यक्ति को जिसे इकाई की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है, नाम निर्दिष्ट किए जाने के संबंध में विधिवत लेख्य प्रमाणित संकल्प (ऐसे प्रकरण में प्रयोज्य, जहां प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बोली की प्रस्तुति के लिये प्राधिकृत किया जा रहा हो)
- (ग्यारह) बोली प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का शपथ-पत्र (Affidavit)

(बारह) विज्ञापन की तिथि से पिछले तीन वर्षों का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (Audit Report)

(तेरह) सम्पत्ति हेतु बोली के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग-एक) और सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें (भाग-दो)

(चौदह) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए)

4. वांछित अर्हकारी जानकारी/दस्तावेज, बोली दस्तावेज शुल्क तथा बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार किया जा सकेगा। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवके के अनुसार भी किसी भी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह दस्तावेजों के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि करने बाबत और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।

5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer)/बोली से संबंधित कोई जानकारी सम्मिलित नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में ऐसी कोई जानकारी दी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

लिफाफा 'बी' बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)

लिफाफा 'बी' में केवल बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरकर तथा हस्ताक्षरित ही अंतर्विष्ट होगा। (भाग-चार)।

चार : बोली प्रस्तुति की अन्तिम तिथि तथा बोली प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया (Bid Due Date and Opening of Bids)

1. बोलियों को 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर स्थित प्राधिकरण कार्यालय में (कक्ष क्रमांक 106 में संपदा अधिकारी (पदनाम) के समक्ष दिनांक 25/8/2017 को सांय 4.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. बोलियों को 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर स्थित प्राधिकरण कार्यालय में (कक्ष क्रमांक 106 में संपदा अधिकारी (पदनाम) के समक्ष दिनांक 25/8/2017 सांय 4.15 बजे खोला जाएगा। ऐसे इच्छुक बोली प्रस्तुतकर्ता जो बोली खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे बोलियों को खोलने के समय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
3. बोली खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे (eligibility envelope) को ही खोला जाएगा तथा प्राधिकरण बोली प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परीक्षण करेगा।
4. अभिलेखों के परीक्षण के बाद, केवल पात्र पाये गये बोली प्रस्तुतकर्ताओं के बोली लिफाफों को प्राधिकरण के संपदा अधिकारी (पदनाम) के कार्यालय में कक्ष क्रमांक 106 में दिनांक 30/8/2017 को सांय 4.00 बजे खोला जाएगा। ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता जो बोली लिफाफों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

पाँच : उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता की घोषणा (Declaration of Highest Bidder)

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य से नीचे प्रस्तुत की गई दरों पर बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. सामान्यतः, ऐसे उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, बोली लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति के अध्यक्षीन रहते हुए चयनित बोली प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत की गई बोलियों का अंतिम परिणाम बोली लिफाफा खोलने के पन्द्रह दिन के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना-पटल के साथ-साथ उसकी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण को किसी भी बोली/समस्त बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

छ: : पते में परिवर्तन तथा बोली प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना (Change of Address and Tracking of Bid)

1. बोली प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली प्रस्तुतकर्ता से पत्र-व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित सूचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार से पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी भी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/वैबसाईट पर बोली के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।

—:: भाग—दो ::—

रियायती दरों पर सम्पत्ति के संबंध में शपथ—पत्र हेतु प्ररूप
(Format for affidavit ForProperty on Concessional Rates)
(सील बंद लिफाफे 'ए' : पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ—पत्र को गैर—न्यायिक मुद्रांकों (Non-judicial stamps) पर विधिवत नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रयोज्य दरों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए)

शपथ—पत्र (Affidavit)

(व्यक्तियों की सम्पत्तियों के संबंध में निर्दिष्ट)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :
मेरा नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
आयु :
वार्षिक आय :
2. यह,कि मैं ————— नाम ————— (संस्था का नाम)
की ओर से संस्था के संकल्प के अनुसार, ————— प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ।
3. यहकि उपरोक्त उल्लिखित संस्थान/फर्म/न्यास वर्तमान में पंजीकृत है तथावर्षों से सक्रिय प्रचालन में है।
4. यहकि संस्थान का मुख्य प्रयोजन ————— को चलाना/ संचालित करना है जिनका उल्लेख उपविधियों/नियमों/न्याय विलेख में किया गया है।
5. यहकि उपरोक्त उल्लिखित संस्थान/फर्म/न्यास ने इससे पूर्व दरों के रियायती प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भूखण्ड/इकाई को प्राप्त नहीं किया है।
6. यह कि बोली में दी गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

7. यहकि मैंने सम्पत्ति के व्ययन के बारे में बोली संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा प्राधिकरण के नियमों को पूर्णतया समझ लिया है तथा ये निबंधन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।
8. यहकि बोली के अन्तर्गत किसी जानकारी को गलत/ दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation) पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी बोली को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा तत्पश्चात् इस बोली के अन्तर्गत आवंटित की गई सम्पत्ति से संबंधित पट्टे (लीज) को भी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।
9. यहकि प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा यह शपथ-पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् योजना क्रमांक ----- के आवंटन हेतु बोली से संबंधित है।

दिनांक :

अभिसाक्षी
(बोली प्रस्तुतकर्ता/संस्था की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, पिता/पति श्रीसत्यापित करता हूँ/करती हूँ, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है। यह सत्यापन आज दिनांक ----- को प्रस्तुत किया गया।

अभिसाक्षी
(बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

—:: भाग—तीन ::—

रियायती दरों पर सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
(Terms and Conditions for Allotment of Property on Concessional Rates)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सीलबंद लिफाफा 'ए' अर्थात्,

पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए)

एक. भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) को बोली की स्वीकृति के बाद मांग-पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर कुल उद्धरित (quoted) अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि (बोली प्रतिभूति राशि के समायोजन उपरान्त) जमा करनी होगी तथा प्रारंभिक द्वितीय 25 प्रतिशत राशि 04 माह में जमा करना होगी ।
2. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली की स्वीकृति के बाद मांग-पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर एक वर्ष की अवधि का अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा अनुबन्ध-पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी प्रयोज्य दरों के अनुसार मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) जमा करनी होगी।
3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 50 प्रतिशत राशि, एवं एक वर्ष की अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा अनुबन्ध-पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
4. जहां सफल बोली प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त भुगतान करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा बोली प्रतिभूति राशि को समापहृत कर सकेगा जब तक की प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त-समय सीमा में वृद्धि नहीं की गई हो।
5. पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) शासन, नगरपालिका परिषद अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/ शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तारीख को भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
6. ग्राही (Allottee) द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि के अवशेष 50 प्रतिशत भाग का भुगतान त्रैमासिक बराबर किस्तों में, 3/5 वर्षों की समयावधि के भीतर (जो पांच वर्षों से अधिक न होगी) 10/10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज की दर से किया जाएगा तथा आवंटिती द्वारा त्रैमासिक किस्तों की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन करने पर गुण-दोषों के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।
7. किसी किस्त के भुगतान में विलंब होने पर, 15 प्रतिशत की दर से दायिदक ब्याज का भुगतान करना होगा, जो उपरोक्त बिन्दु 6 में निर्धारित किये गये 10/10.25 प्रतिशत की ब्याज वसूली दर के अतिरिक्त होगा। यदि किसी किस्त के भुगतान में की गई चूक 6 माह से अधिक की अवधि हेतु जारी रहती हो, तो प्राधिकरण आवंटन प्रतिसंहत करने का अधिकार सुरक्षित रख सकेगा। तथापि, अदायगी अनुसूची के प्रत्येक उल्लंघन पर प्राधिकरण

निरस्तीकरण के बदले में रू 10,000/- का अर्थदण्ड (जो रू. 10000/- से अधिक न होगा) वसूल किये जा रहे ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अधिरोपित कर सकेगा।

8. पांच वर्षों की अवधि के बाद भुगतान की बकाया कोई राशि लंबित होने पर चूककर्ता को आबंटन की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष राशि पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
9. तथापि, यदि समस्त किस्तों का भुगतान, आवंटन तिथि से 7 वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, जिसमें निरस्तीकरण के बदले में देय ब्याज राशि तथा दाण्डिक ब्याज राशि तथा प्रतिसंहरण के बदले उद्गृहीत किया गया अर्थदण्ड भी शामिल है, तो आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। भुगतान न किये जाने के कारण ऐसे आवंटन रद्द किये जाने पर, प्राधिकरण को भुगतान की गई अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 25 प्रतिशत के बराबर (ब्याज राशि को छोड़कर) को समपहृत करने का अधिकार होगा तथा बकाया मूलधन की राशि लौटा दी जाएगी। प्राधिकरण द्वारा लौटाई गई राशि पर कोई ब्याज देय न होगा।
10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में सम्पत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
11. यदि किसी विशिष्ट भूमि का पट्टाधारी उसे आवंटित किये गये भूखण्ड से अनुलग्न भूमि (appurtenant land) के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने पूर्ण विवेकाधिकार तथा निर्णय के अधीन ऐसी अतिरिक्त भूमि का आवंटन, भूमि की आवंटन तारीख को प्रचलित मार्गदर्शक दर (guide line rate) पर अथवा ऐसी दर पर जिस पर आवंटिती द्वारा पूर्व में धारित भूखण्ड आवंटित किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, कर सकेगा।

दो. सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी उद्देश्य, पात्रता एवं शर्तें

—:: उद्देश्य ::—

- 1) म.प्र. के निवासियों को स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट एवं आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
- 2) कमजोर आयवर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ।
- 3) स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों के मानव संसाधन का निर्माण करना ।
- 4) म.प्र.के शासकीय, नगरीय निकाय, प्राधिकरण, मंडल के सेवारत कर्मचारियों को रियायती दर पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ।

—:: पात्रता एवं शर्तें ::—

- 1) संस्था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी के रूप में किसी विधि/नियमों में गठित होकर सुसंगत परिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होगा
- 2) चिकित्सा क्षेत्र में चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी का अनुभव निविदा विज्ञापन दिनांक को कम से कम 10 वर्ष का होना आवश्यक होगा ।
- 3) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चैरिटेबल कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 12 ए/12 ए.ए. के तहत होना आवश्यक है ।

- 4) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चेरिटेबल कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80(जी) (5) (अप) के तहत होना आवश्यक है ।
- 5) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चेरिटेबल कंपनी को विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 3 वर्ष पूर्व तक की चार्टर्ड अकाउण्टेंट से सत्यापित आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी एवं विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से संस्था का सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक होकर प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा ।
- 6) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चेरिटेबल कंपनी द्वारा इसकी चिकित्सीय कोर गतिविधियों के लिये गत् 03 वर्षों का वार्षिक व्यय न्यूनतम रूपये 1.00 करोड (औसत) होना आवश्यक होगा । चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चेरिटेबल कंपनी जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्डधारी (गरीबी रेखा के नीचे) के कम से कम 60 प्रतिशत व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई हो तथा भविष्य में भी प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत व्यक्तियों को निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। उपरोक्त सेवा में परामर्श, उपचार, अस्पताल में भर्ती किया जाना, दवाईयाँ, जाँच-परीक्षण, सर्जरी आदि संपूर्ण सुविधाएँ निःशुल्क होगी ।
- 7) भूखंड आवंटन होने के पश्चात संस्था के कार्य की त्रैमासिक मॉनिटरिंग जिलाधीश इंदौर द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी जानकारी संस्था को निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक होगा ।
- 8) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चेरिटेबल कंपनी को आवंटित भूखंड पर निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी से नक्षा स्वीकृत कराना होगा तथा स्वीकृत नक्षे अनुसार न्यूनतम 80 प्रतिशत तक का निर्माण करना आवश्यक होगा ।
- 9) चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चेरिटेबल कंपनी को भूखंड का कब्जा प्राप्त होने के उपरांत 2 वर्ष के भीतर भूखंड पर निर्माण कर चिकित्सकीय गतिविधि प्रारंभ करनी होगी । इस समय सीमा को आवश्यकता होने पर एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में निर्माण हेतु कोई समयसीमा नहीं दी जावेगी ।
- 10) संस्थाओं को इस आशय का अण्डर टेकिंग (Undertaking) देना होगा कि संस्था को आवंटित की जाने वाली भूमि पर संचालित सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी पंथ/जाति/सम्प्रदाय विशेष के लोगो के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।
- 11) ऐसे भूखंड केवल पंजीकृत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट/चैरिटेबल सोसायटी/चेरिटेबल कंपनी को ही आवंटित किये जावेगे । व्यक्ति विशेष को भूखंड आवंटन की पात्रता नहीं होगी ।
- 12) विज्ञापन में दर्शाई गई प्रत्येक सम्पत्ति की बोली की प्रस्तुति हेतु केवल एक बोली प्रपत्र ही लागू होगा ।
- 13) यदि बोली प्रस्तुतकर्ता विज्ञापन में दर्शाई गई एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु बोली लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक्-पृथक् बोली प्रपत्र क्रय करने होंगे ।
- 14) ऐसे इच्छुक बोली प्रस्तुतकर्ता, जो वैबसाईट से बोली प्रपत्रों को डाऊनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए बोलियां प्रस्तुत की जा रही हैं, बोली दस्तावेज शुल्क के लिए सम्पत्तियों के लिए पृथक् पृथक् प्रारूप के साथ पृथक् बोलियां प्रस्तुत की जाएंगी ।

- 15) सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्षों की अवधि के लिये प्रदान की जाएगी (जब तक अन्यथा शासकीय सम्पत्तियों की दशा में ऐसी सम्पत्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अन्तर्गत वेष्टित हों या जिनका प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही हों जिनकी कालावधियों का विस्तार 30 वर्ष की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीनीकरण के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
- 16) सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक पट्टा भाड़ा रु ————— (इसे बोली प्रक्रिया के उपरान्त भरा जाए, यह राशि शासन की देय पट्टा भाड़ा + (जमा) प्राधिकरण को आवंटित शासकीय भूमि पर पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों पर दस प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में अथवा भूमिस्वामी अधिकारों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा धारित भूमि पर पट्टे पर प्रदान की गई सम्पत्तियों हेतु प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत होगी प्रभारित किया जाएगा)।
- 17) सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष एक जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उक्त वित्तीय वर्ष हेतु, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तारीख अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
- 18) जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह से अधिक की अवधि हेतु लम्बित रहता है वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि की वसूली की प्रक्रिया भू-राजस्व की बकाया राशि, (Arrears of Land Revenue) के रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
- 19) सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है, जहां है" के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो) तथा प्राधिकरण भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई /समतलन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 20) सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सौंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अन्तर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा सम्पत्ति के आवंटन की विशेष परिस्थिति में यह प्रावधान न कर दिया गया हो, जिसमें प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।
- 21) अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तिथि तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तिथि से प्रारंभ हो जाएगा, भले ही ग्राही द्वारा सम्पत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
- 22) अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्ररूप के अनुसार ग्राही द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lessee) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पट्टे का पंजीकरण कराना होगा। पट्टाधारी पट्टा दस्तावेज के पंजीकरण से संबंधित समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी को पट्टे के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 23) रियायती दरों पर आवंटित की गई सम्पत्ति को पूर्ण स्वामित्व (freehold) में परिवर्तित किये जाने की पात्रता नहीं होगी।

- 24) रियायती दरों पर आवंटित की गई सम्पत्ति का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के अंतर्गत नहीं किया जा सकेगा, प्रयोजन जिस के लिए इसे आवंटित किया गया था। पट्टाधारी (lessee) द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अंतरण किसी अन्य इकाई को राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा।
- 25) पट्टाधारी, पट्टा विलेख के पंजीयन के उपरान्त प्राधिकरण की अनुमति से भूखण्ड पर निर्माण कार्य के प्रयोजन से ऋण की प्राप्ति हेतु भूखण्ड (प्लॉट) को बंधक (mortgage) रख सकेगा।
- 26) पट्टाधारी को जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
- 27) ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी पट्टा विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में, सम्पत्ति के पट्टे को रद्द कर सकेगा। पट्टे के निरस्तीकरण पर प्राधिकरण को सम्पत्ति के बारे में संबंधित को पुनर्प्रवेश प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

तीन. आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के पदाभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. पट्टाधारी को नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (Planning Permission) (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो), तथा इन्दौर नगर पालिक निगम/परिषद द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा वह उस प्राधिकारी को जो भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हो, स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर, तदनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।
3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके पदाभिहित उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न की जाती है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में, पट्टाधारी को किसी कानूनी अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
4. पट्टाधारी के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद अथवा सेवाप्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
6. रियायती निबंधनों पर सम्पत्ति के लिए पट्टा इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि यदि पट्टे पर प्रदान की गई कथित सम्पत्ति का उपयोग, उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए पट्टा दिया गया था, तीन वर्षों के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण

द्वारा पट्टे को निरस्त किया जा सकेगा, जमा की गई राशि को समपहृत किया जा सकेगा तथा उसका आधिपत्य पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। जहां सम्पत्ति का स्वरूप भूमि/भूखण्ड प्रकार का हो, वहां सम्पत्ति के उपयोग का तात्पर्य इस तथ्य पर आधारित होगा कि पट्टाधारी द्वारा पट्टे पर उसे प्रदान की गई भूमि/भूखण्ड पर अनुज्ञेय क्षेत्र के न्यूनतम दस प्रतिशत भाग पर निर्माण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है।

चार. अन्य निबन्धन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

1. यदि बोली के निबन्धन तथा शर्तों में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम 2013" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में कोई विसंगति पाई जाती है तो पश्चात्वर्ती उपबंध अभिभावी होंगे तथा पट्टेदार पर बन्धनकारी होंगे।
2. यदि योजना के अन्तर्गत विशेष निबन्धन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया है, बोली प्रस्तुतकर्ता/ सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये भी बन्धनकारी होंगी।
3. आवंटन/पट्टे के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिनी, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशिनी (Permitted assignees) भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee)" का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कतिपय संशोधन तथा भाग-एक, भाग-दो, तथा भाग-तीन, बोली दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। बोली प्रस्तुतकर्ताओं को भाग- एक,, भाग-दो, तथा भाग-तीन, के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होंगे और उन्हें लिफाफा ए पात्रता दस्तावेज में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वैबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी बोली दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन बोली प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से बोली प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा।

दिनांक

संस्थान की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम _____

**—:: भाग — चार ::—
बोली प्ररूप (Bid Form)**

चिकित्सा उपयोग के भूखण्ड/इकाई हेतु बोली प्ररूप (इसे सीलबंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 114
बोली प्ररूप क्रमांक

दिनांक 31/7/2017
मूल्य रुपये 590/—(जी.एस.टी. सहित)
अहस्तान्तरणीय (Not Transferable)

प्रति,

संपदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर (म.प्र.)

बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम

बोली प्रस्तुतकर्ताओं
के पासपोर्ट आकार
का फोटो यहां
चिपकाएं

महोदय,

आपके विज्ञापन क्रमांक 114 दिनांक 31/7/2017 के संदर्भ में, जो योजना क्रमांक-51, 74-सी एवं योजना क्रमांक-140 के अंतर्गत भूखण्डों/इकाइयों के आवंटन के लिए है तथा जिसे (योजना का नाम) के नाम से अधिसूचित किया गया है, मैं/हम मेरी/हमारी बोली पट्टे (लीज) इस बोली प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में प्राधिकरण द्वारा जारी बोली के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पट्टा आधार पर सम्पत्ति के आवंटन हेतु प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। मैं/हम पूर्णतया स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बोली दस्तावेज के समस्त निबंधनों तथा शर्तों को पढ़ लिया गया है, स्पष्टतया समझ लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु अपनी/हमारी सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं, जो प्राधिकरण की बोली-प्रक्रिया तथा भूखण्ड/इकाई के आवंटन की शर्तों तक सीमित न होकर, उसे सम्मिलित करते हुए होंगे। मैं/हम यहां पर इस बोली के साथ निबंधनों तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं। मैं/हम अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं :

आवेदक के मूल ब्यौरे :

01	संस्था / इकाई के नाम
02	बोली प्रस्तुतकर्ता संस्था / निदेशकों / न्यासों का नाम
03	संस्था की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
04	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता दूरभाष / मोबाईल ई-मेल पता (कार्यालय) (निवास)

मैंने/हमने यह बोली प्रारूप प्राधिकरण के कार्यालय में रसीद क्रमांकदिनांक
..... के माध्यम से प्राप्त किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)।
हमारे द्वारा यह बोली प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाइट से डाऊनलोड किया गया है तथा बोली
प्रारूप का मूल्य मेरे/हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक दिनांक, राशि
रूपये (शब्दों और अंकों में दर्शाए) लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।

मैं/हम इस बोली को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं कि मेरी/हमारी बोली इसकी
प्रस्तुति दिनांक से 90 दिन की कालाविधि तक विधिमान्य रहेगी।

मैं/हम अपनी बोली के संबंध में बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक
दिनांक रूपये (शब्दों और अंकों में दर्शाए) प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं
तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा
रही बोली अप्रतिसंहरणीय (प्लतमअवबंड्सम) है तथा यदि मैं/हम इसे प्रतिसहृत करता हूँ/करते हैं तो इस
बोली के साथ जमा की गई बोली प्रतिभूति राशि रूपये. (शब्दों और अंकों में दर्शाए)
समपहृत कर ली जाएगी।

मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त की गई समस्त जानकारी सत्य
तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में मैं/हम पूर्ण दायित्व लेता हूँ/लेते हैं। मैं/हम यह
सहमति भी प्रदान करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी; जैसा कि आवश्यक हो
अथवा इसे पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत चाही जाए, मेरे/हमारे द्वारा
उपलब्ध कराई जाएगी। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस बोली की अर्हताओं के
अनुसार इस बोली के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूँ/करते हैं। मुझे/हमें
यह भी अवगत है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से
प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा यदि मैं/हम भुगतान की शर्तों के अनुसार
राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली निरस्त करने को तथा
बोली प्रतिभूति राशि को समपहृत करने का अधिकार होगा।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण इस बोली को किसी भी समय निरस्त करने का
अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही
बोली प्रस्तुतकर्ताओं को बोली प्रस्तुति के लिये आमन्त्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना
कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी बोली को रद्द कर सकता है तथा एतद्वारा किसी भी कारण
से, भले वह जो भी हो, इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे द्वारा अधिकार के अधित्यजन (waive) का
अधिकार रखता है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऐसे मामलों में, जो देश की सुरक्षा तथा अखण्डता के
अतिरिक्त हों, हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण
ने आरोपी ठहराया है और न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किए हैं जो इस बोली के
लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी पात्रता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके
गंभीर अपराध से संबद्ध हो जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित
करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण
द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप-पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा
किए गए किसी अपराध के संबद्ध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड/इकाई का उपयोग पट्टा विलेख
(Lease Deed) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य और/या परिनियम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य
अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। हम विशिष्ट प्रयोजन के
लिए केवल आवंटित सम्पत्ति का उपयोग करेंगे जिसके लिये हमारी संस्था को रियायती दर पर आवंटित
की गई तथा विशिष्ट प्रयोजन के लिए 03 वर्ष की कालाविधि के भीतर सम्पत्ति का उपयोग करना प्रारंभ
कर देगे जिसके लिए कि सम्पत्ति आवंटित की जा रही है प्राधिकरण सम्पत्ति के लिए पट्टा निरस्त करने

तथा जमा किए गए समस्त भुगतानों को समपहृत करने और आधिपत्य पुनः प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ की भूखण्ड/इकाई के आवंटन पर निष्पादित किये जाने वाले पट्टा विलेख की समस्त निबंधन तथा शर्तें वार्षिक पट्टा भाडा (पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के लिये) का भुगतान प्राधिकरण के पट्टे को रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम भवन निर्माण उपविधि, भवन निर्माण विनियम तथा सम्पत्ति पर किसी अन्य लागू विधि के अधीन शुल्क, दरें तथा शुल्क के भुगतान का दायित्व को सम्मिलित करते हुये इन्हीं तक सीमित न होंगे।
मैं/हम, मेरा/हमारा सम्पत्ति के बारे में बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी बोली निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

योजना क्रमांक (अंकों में)	भूखण्ड का उपयोग (शब्दों में)	बोली-दर प्रति वर्ग मीटर (अंकों में)	बोली-दर प्रति वर्ग मीटर (शब्दों में)

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में, बोली की कुल राशि को तदनुसार आनुपातिक दर के आधार पर समयोजित किया जाएगा।

मैं/हम बोली राशि का अवशेष 50 प्रतिशत भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलंब/चूक किये जाने पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति क्रमांक तथा बोली दरों का प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना बोली को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य अर्हता है।

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि बोली प्ररूप में नाम और/सम्पत्ति संख्या में उपरिलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर बोली प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम बोली प्ररूप की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में, एतद्द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

भवदीय,

दिनांक : बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

स्थान : बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

संस्था की मुद्रा (सील) :

नोट :- निविदा प्रपत्र में आवश्यक पूर्तियाँ हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं ।